

(असाधारण भाग I—खंड-1)

अधिसूचना

सरकारी प्रतिभूतियों (जीएस) की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

एफ.संख्या.4(3)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2021: भारत सरकार एतद्वारा नीचे दिए गए अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) अधिसूचित करती है:

| प्रतिभूति का नाम             | मूल निर्गम की तारीख | मूल अवधि (वर्ष-माह-दिन) | परिपक्वता की तारीख | नीलामी का आधार | नीलामी की विधि | अधिसूचित राशि (करोड़ में) |
|------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 4.26% सरकारी प्रतिभूति, 2023 | 17 मई, 2021         | 02-00-00                | 17 मई, 2023        | मूल्य          | विविध          | 3,000                     |
| 5.85% सरकारी प्रतिभूति, 2030 | 01 दिसम्बर, 2020    | 10-00-00                | 01 दिसम्बर, 2030   | मूल्य          | विविध          | 14,000                    |
| 6.76% सरकारी प्रतिभूति, 2061 | 22 फरवरी, 2021      | 40-00-00                | 22 फरवरी, 2061     | मूल्य          | विविध          | 9,000                     |

भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रतिभूति/प्रतिभूतियों में ₹6,000 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी। उपर्युक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ.संख्या.4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018, दिनांक 27 मार्च, 2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 के माध्यम से बेचा जाएगा।

**अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन**

2. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम (अनुबंध) के अनुसार, बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक सरकारी प्रतिभूतियाँ पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा।

**नीलामी का स्थान एवं तारीख**

3. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा 25 जून, 2021 को संचालित की जाएगी। नीलामी हेतु बोलियाँ भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 25 जून, 2021 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियाँ पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियाँ पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

**कब निर्गमित कारोबार**

4. ये प्रतिभूतियाँ, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 'कब निर्गमित' कारोबार के लिए पात्र होगा।

**निर्गम की तारीख और प्रतिभूतियों के लिए भुगतान**

5. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर 25 जून, 2021 को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 28 जून, 2021 अर्थात् पुनर्निर्गम की तारीख को किया जाएगा। प्रतिभूतियों के लिए भुगतान में नीलामी में आबंटित प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर, मूलनिर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से प्रोद्भूत ब्याज देय होने की तारीख तक, प्रोद्भूत ब्याज शामिल होगा। जैसा कि पैरा 6 में तालिका में उल्लिखित है।

**ब्याज का भुगतान और प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान**

6. मूल निर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से स्टॉक के अंकित मूल्य पर ब्याज प्रोद्भूत होगा तथा इसका भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा। प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान परिपक्वता की तारीख पर सममूल्य पर किया जाएगा।

| प्रतिभूति का नाम             | कूपन दर (%) | अंतिम कूपन भुगतान की तारीख | किस तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज देय है | कूपन भुगतान की तारीख (तारीख/माह) |
|------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 4.26% सरकारी प्रतिभूति, 2023 | 4.26        | नई प्रतिभूति               | 27 जून, 2021                        | 17 नवंबर और 17 मई                |
| 5.85% सरकारी प्रतिभूति, 2030 | 5.85        | 01 जून, 2021               | 27 जून, 2021                        | 01 दिसम्बर और 01 जून             |
| 6.76% सरकारी प्रतिभूति, 2061 | 6.76        | नई प्रतिभूति               | 27 जून, 2021                        | 22 अगस्त और 22 फरवरी             |

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

आशीष वच्छानी  
(आशीष वच्छानी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार